सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018

कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत : जोधूला, कैम्प दिनांक 06.06.2018

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार मूंड आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 14/2017 (87/2017) दायर तारीख :– 10.03.2017

1. शिम्भू दयाल पिता काना जाति मीणा निवासी ढाणी बागडियों की तन सताना तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

—— वादी

बनाम

1. मांगू पिता काना जाति मीणा निवासी ढाणी बागडियों की तन सताना तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर
3. उप पंजीयक विराटनगर, तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
4. प्रबन्धक, दी जयपुर सैन्ट्रल कॉ आपरेटिव बैंक लि॰ शाखा विराटनगर

—— प्रतिवादीगण

दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री घनश्याम गुर्जर, अधिवक्ता वादी
एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी सं. 1
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक 06.06.2018

1. वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम सताना के साबिक खसरा नम्बर 458 रकबा 13 बिसवा, 461 रकबा 11 बिसवा, 493 रकबा 2 बीघा, 508 रकबा 10 बिसवा, 498 रकबा 5 बिसवा, 506 रकबा 19 बिसवा, 518 रकबा 1 बीघा 4 सिबवा, 498 रकबा 1 बीघा 2 बिसवा, 404, 478 रकबा 5 बिसवा से बने नये नम्बर खाता संख्या 76 के खसरा नम्बर 1155/0.18, 1163/0.13, 1178/0.13, 1203/0.21, 1204/0.28, 1218/0.11, 1219/0.12, 1230/0.26 हैक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 1.42 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 77 के खसरा नम्बर 1039/0.41, 1176/0.11, 1209/0.16 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.68 हैक्टेयर,

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिसकी खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रिकार्ड है, उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक भूमि है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वज (दादा) किशना के तीन पुत्र प्रभात, घींसा, काना हुए, जिनमें प्रभात व घींसा का प्रस्तुत वाद से कोई संबंध नहीं है, तीसरा पुत्र काना, वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का पिता है, जो फौत हो चुका है। आराजी मुतनाजा साबिक खसरा नम्बर भूमि की खातेदारी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता काना उर्फ कान्या के नाम दर्ज रिकार्ड रही है, जिसको अपने दोनो पुत्र मांगू व शिम्भूदयाल को बांटकर आधी–आधी संभला दी थी, वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 अपने–अपने हिस्सानुसार काबिज काश्त है। काना के फौत होने पर मांगू जो परिवार में बडा व कर्ता खानदान था, ने राजस्व कर्मचारियों से साज कर अपने नाम दर्ज खातेदारी करवा ली, जिसका उसको कोई विधिक अधिकार नहीं था। पैतृक भूमि पर जायन्दा पुत्रों का जन्म से अधिकार होता है। अतः निवेदन है कि ग्राम सताना के हाल खसरा नम्बर 1155/0.18, 1163/0.13, 1178/0.13, 1203/0.21, 1204/0.28, 1218/0.11, 1219/0.12, 1230/0.26 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 1.42 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1039/0.41, 1176/0.11, 1209/0.16 हैक्टेयर किता 3 रकबा 0.68 हैक्टेयर में हिस्सा 1/2 का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल नहीं करें।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहा, एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। पैराकार सरकार उपस्थित।
3. वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी खाता संख्या 76, 77 संवत् 2072–2075, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल जमाबन्दी (खेवट खतौनी) संवत् 2016, नकल जमाबन्दी (खेवट खतौनी) संवत् 2030 आदि पेश किये।
4. पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट जोधूला में पेश हुई। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। उपस्थित पक्षकारान ने दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।
5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2016 आराजी साबिक खसरा नम्बर 458, 461, 493, 508, 498, 506, 518, 498, 404, 478 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता काना के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नाम दर्ज रिकार्ड रही है। पत्रावली में प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल अनुसार उक्त साबिक खसरा नम्बर से हाल खसरा नम्बर 1155/0.18, 1163/0.13, 1178/0.13, 1203/0.21, 1204/0.28, 1218/0.11, 1219/0.12, 1230/0.26 हैक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 1.42 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 77 के खसरा नम्बर 1039/0.41, 1176/0.11, 1209/0.16 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.68 हैक्टेयर, कायम कर खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रिकार्ड की गई, जबकि आराजी मुतनाजा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक खातेदारी भूमि रही है, जिस पर जायन्दा पुत्रों का जन्म से समान रूप से अधिकार है। यह भी कि राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट जोधूला दिनांक 22.05.2017 में उभय पक्ष शिम्भूदयाल (वादी) एवं मांगू (प्रतिवादी संख्या 1) ने उपस्थित होकर प्रकरण में राजीनामा पेश किया है, जिसमे गवाह सरपंच ग्राम पंचायत जोधूला रही है। प्रकरण में उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से पूर्ण साबित है कि आराजी मुतनाजा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक भूमि है, जिस पर दोनो का समान हक अधिकार है। अतः वादी वादपत्र के माध्यम से चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है। परिणामतः वादी का वाद डिक्री किया जाना न्यायसंगत है।

आदेश

वादी का वादपत्र डिक्री किया जाता है। ग्राम सताना के हाल खसरा नम्बर 1155/0.18, 1163/0.13, 1178/0.13, 1203/0.21, 1204/0.28, 1218/0.11, 1219/0.12, 1230/0.26 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 1.42 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1039/0.41, 1176/0.11, 1209/0.16 हैक्टेयर किता 3 रकबा 0.68 हैक्टेयर (दोनो खातो) में हिस्सा 1/2 का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि बैंक रहन अनापत्ति प्रमाण पत्र पेश करने पर राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें। प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी को प्राप्त खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की दखल नहीं करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय मजमा–ए–आम कैम्प कोर्ट जोधूला दिनांक 06.06.2018 को सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मूंड) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी विराटनगर

बइजलास :– मुकेश कुमार मूंड R.A.S.

1. शिम्भू दयाल पिता काना जाति मीणा निवासी ढाणी बागडियों की तन सताना तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

—— वादी

बनाम

1. मांगू पिता काना जाति मीणा निवासी ढाणी बागडियों की तन सताना तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर
3. उप पंजीयक विराटनगर, तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
4. प्रबन्धक, दी जयपुर सैन्ट्रल कॉ आपरेटिव बैंक लि॰ शाखा विराटनगर

—— प्रतिवादीगण

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 14/2017 (87/2017) **दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज, घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू **श्री घनश्याम गुर्जर एडवोकेट** व हाजरी ....मिन जानिब मुद्दई रूबरू **राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट जोधूला में व्यक्तिशः उपस्थित** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया कि ग्राम सताना के हाल खसरा नम्बर 1155/0.18, 1163/0.13, 1178/0.13, 1203/0.21, 1204/0.28, 1218/0.11, 1219/0.12, 1230/0.26 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 1.42 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1039/0.41, 1176/0.11, 1209/0.16 हैक्टेयर किता 3 रकबा 0.68 हैक्टेयर में हिस्सा 1/2 का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल नहीं करें।

सुना गया। वादी का वाद दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा का है। प्रकरण में उभय पक्षकारान द्वारा लोक अदालत में उपस्थित होकर दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया। आराजी मुतनाजा उभय पक्षकारान की पैतृक खातेदारी भूमि है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का आराजी मुतनाजा में समान हक अधिकार है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतः हुक्म **दिया जाता है कि** वादी का वादपत्र डिक्री किया जाता है। ग्राम [illegible] के हाल खसरा नम्बर 1155/0.18, 1163/0.13, 1178/0.13, 1203/0.21, 1204/0.28, 1218/0.11, 1219/0.12, 1230/0.26 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 1.42 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1039/0.41, 1176/0.11, 1209/0.16 हैक्टेयर किता 3 रकबा 0.68 हैक्टेयर (दोनो खातो) में हिस्सा 1/2 का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि बैंक रहन अनापत्ति प्रमाण पत्र पेश करने पर राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें। प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी को प्राप्त खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की दखल नहीं करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय मजमा–ए–आम कैम्प कोर्ट जोधूला दिनांक 06.06.2018 को सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मूंड) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

मुबलिक ....शून्य........................... बाबत ....शून्य....................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत ....शून्य.................. की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक ....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 06.06.2018** को जारी की गई।

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया। फीस की आ सीसे दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर